

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
नई दिल्ली

क्रमांक:- ए-25/14/1(1)/2024-विधि

दिनांक: 13 मार्च 2025

सूचना

पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), एक संवैधानिक निकाय है जो विभिन्न न्यायालयों/न्यायिक निकायों के समक्ष भादूविप्रा की तरफ से प्रतिनिधित्व करने और विधिक सलाह प्रदान करने, याचिकाओं, अपीलों, जवाबों आदि को ड्राफ्ट करने और पुनरीक्षण करने के लिए तीन ग्रेड में अधिवक्ताओं को नियुक्त करना चाहता है। रुचि रखने वाले अधिवक्ता जो पैनल में नियुक्ति पाना चाहते हैं और दूरसंचार/प्रसारण और केबल सेवाओं से संबंधित मामलों में पर्याप्त विधिक अनुभव रखते हैं, वे अपना आवेदन 03.04.2025 तक कर सकते हैं। इस सूचना में दी गई अधिवक्ता की नियुक्ति के नियम एवं शर्तें केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर भी प्रकाशित की गई हैं।

किसी भी अतिरिक्त जानकारी/पूछताछ के लिए श्री अखिल सक्सेना, सलाहकार (विधिक) से टेलीफोन नं. (011)-26769710 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रवीण कुमार

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली

दिनांक: 13 मार्च 2025

सूचना

पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), एक संवैधानिक निकाय है जो विभिन्न न्यायालयों/न्यायिक निकायों के समक्ष भादूविप्रा की तरफ से प्रतिनिधित्व करने और विधिक सलाह प्रदान करने, याचिकाओं, अपीलों, जवाबों आदि को ड्राफ्ट करने और पुनरीक्षण करने के लिए तीन ग्रेड में अधिवक्ताओं को नियुक्त करना चाहता है। रूची रखने वाले अधिवक्ता जो पैनल में नियुक्ति पाना चाहते हैं और दूरसंचार/प्रसारण और केबल सेवाओं से संबंधित मामलों में पर्याप्त अनुभव रखते हैं, वे अपना आवेदन एक मुहरबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर “भादूविप्रा में पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन” लिखा होना चाहिए और लिफाफे में नीचे विवरण के अनुसार:-

इसमें आवेदक का बायो डेटा और घोषणापत्र, क्रमशः अनुलग्नक-I और II में निर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार होना चाहिए, और इसे 'उपयुक्तता विवरण' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।

पैनल अधिवक्ता ग्रुप-I, II और III के लिए फीस और अन्य नियम एवं शर्तें अनुलग्नक-III में संलग्न हैं।

लिफाफे पर निम्न पता लिखें:

सलाहकार (विधिक),

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण,

वल्ड ट्रेड सेंटर, टावर 'एफ',

नौरोजी नगर, दिल्ली-110029

और उसमें आवेदनकर्ता का नाम और पता होना चाहिए। सभी तरह से पूर्ण आवेदन उक्त पते पर 03.04.2025 तक पहुँच जाने चाहिए।

प्रवीण कुमार

अधिवक्ता से आवश्यक व्यावसायिक सेवाओं का विवरण और नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं: -

1. **पैनल का कार्यकाल:** अधिवक्ताओं की प्रारंभिक नियुक्ति दो साल की अवधि के लिए होगी, जिसे दो साल की अवधि से आगे बढ़ाया जा सकता है, जो कि अधिवक्ता के कार्यप्रदर्शन से भादूविप्रा की संतुष्टि और समय-समय पर प्राधिकरण के निर्णय पर निर्भर है। हालांकि, एक महीने की पूर्व लिखित सूचना देकर किसी भी समय अधिवक्ता पैनल को समाप्त करने का अधिकार भादूविप्रा के पास सुरक्षित है।

2. **पैनल के लिए पात्रता:**

क अधिवक्ताओं के पास विभिन्न न्यायालयों में दूरसंचार और प्रसारण तथा केबल सेवाओं से संबंधित मामलों को संभालने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उसे संवैधानिक कानूनों और अन्य प्रासंगिक कानूनों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

ख **अधिवक्ता -1 के लिए** अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, टीडीएसएटी राज्य उपभोक्ता आयोग/एनसीडीआरसी आदि में 15 साल से अधिक का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। **अधिवक्ता-2 के लिए** अधिवक्ता के पास उच्च न्यायालयों, टीडीएसएटी, कैट और राज्य उपभोक्ता आयोग/एनसीडीआरसी आदि में 10 साल से अधिक का पेशेवर अनुभव होना चाहिए और **अधिवक्ता-3 के लिए** अधिवक्ता के पास टीडीएसएटी, जिला स्तर पर जिला और उपभोक्ता अदालतों आदि में 7 साल से अधिक का पेशेवर अनुभव होना चाहिए।

ग अधिवक्ता के पास आवश्यक बुनियादी ढाँचा होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेट सुविधा, प्रिंटिंग और स्कैनिंग सुविधा, आदि और दिल्ली / एनसीआर में सौंपे गए मामलों के उचित प्रबंधन के लिए पर्याप्त सहायक कर्मचारी, जैसे कि कनिष्ठ अधिवक्ता / पार्टनर, क्लर्क, आदि।

घ भादूविप्रा के नोटिस दिनांक 13.03.2025 के अनुसार भादूविप्रा में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले एक अधिवक्ता को पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा और पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के लिए उनके आवेदन को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

3. **अधिवक्ता से अपेक्षित पेशेवर सेवाएँ:** अधिवक्ता निम्नलिखित पेशेवर सेवाएँ प्रदान करेगा:-

क विभिन्न न्यायालयों और अन्य न्यायिक निकायों, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरणों/आयोगों (टीडीएसईटी, सीएटी, एनसीडीआरसी, राज्य/जिला उपभोक्ता आयोगों, आदि), जिला न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष भादूविप्रा की ओर से प्रतिनिधित्व करना/उपस्थिति होना, आदि;

अधीनस्थ न्यायालय

- ख किसी विशेष मामले में न्यायालय/न्यायाधिकरणों और अन्य न्यायिक निकायों के समक्ष पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ हिदायत देना/वार्तालाप करना, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता को सभी सहायता प्रदान करना;
- ग न्यायालय में दायर किए जाने वाले कानूनी दस्तावेजों की जांच और प्रारूपण करना, जिसमें याचिकाएं (जैसे एसएलपी / रिट याचिका / स्थानांतरण याचिका, आदि), उत्तर/ प्रत्युत्तर शपथपत्र आदि, आवेदन (जैसे अतिरिक्त शपथ पत्र / विविध आवेदन), भादूविप्रा की ओर से दायर याचिकाएँ (पुनरीक्षण/समीक्षा), और साथ ही दायर याचिकाओं में दोषों का त्वरित निराकरण/उपचार; जैसा कि रजिस्ट्री द्वारा इंगित किया जा सकता है, शामिल हैं;
- घ प्राधिकरण के प्रशासन के दौरान उत्पन्न होने वाले सिविल, आपराधिक, सेवा और ऐसे अन्य मामलों पर भादूविप्रा को विधिक सलाह देना, जैसा कि उसे भेजा जाता है;
- ङ भादूविप्रा द्वारा उसे संदर्भित मामलों पर कानूनी राय देना, जिसमें भादूविप्रा द्वारा प्रस्तावित परामर्श पत्र/ ड्राफ्ट विनियम, याचिका दायर करने की सलाह आदि शामिल हैं;
- च जिन मामलों में अधिवक्ता न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है उनके निर्णय की प्रति के लिए आवेदन करना और जल्दी से जल्दी लेकिन निर्णय आने की तिथि के 10 दिनों के अंदर न्यायिक निर्णयों की प्रति प्राप्त करना (न्यायालय द्वारा प्रति को तैयार करने में लगाने वाला समय शामिल नहीं है);
- छ निर्दिष्ट मामलों में सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, सुनवाई की तिथियों, न्यायालय के निर्णय की तिथि को जारी आदेश, निर्णय की प्रति आदि के बारे में भादूविप्रा को सूचित करना और नवीनतम जानकारी प्रदान करना।
- ज विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत मामलों और उनके परिणामों के बारे में मासिक विवरण प्रस्तुत करना।
- झ भादूविप्रा के द्वारा सौंपे गये किसी अन्य विधिक प्रकृति के कार्य को करना।

4. शुल्क और अन्य शर्तें:-

- क पैनल में शामिल किसी भी अधिवक्ता को कोई प्रतिधारण शुल्क नहीं दिया जाएगा।
- ख प्राधिकरण अधिवक्ता को नियुक्त करते समय नियम और शर्तों को जोड़ने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ग अधिवक्ता को निजी पेशेवर अभ्यास का अधिकार होगा, हालांकि, प्राधिकरण के अधिवक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

सचिव न्याय

5. **समाप्ति:-** प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व लिखित सूचना देकर किसी अधिवक्ता का पैनल समाप्त कर सकता है। अधिवक्ता लिखित रूप में एक महीने का नोटिस देकर भादूविप्रा के पैनल से त्यागपत्र भी दे सकता है।

6. **सामान्य नियम और शर्तें:-**

- क अधिवक्ता को भादूविप्रा द्वारा विशिष्ट मामलों के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और काम का आवंटन भादूविप्रा द्वारा तय किया जाएगा।
- ख अधिवक्ता समय-समय पर उसे सौंपे गए मामलों में प्राधिकरण के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
- ग सेवा अनुबंध अधिवक्ता को यह अधिकार प्रदान नहीं करता है या दावा नहीं करता है कि प्राधिकरण का काम केवल उसी अधिवक्ता को सौंपा जाएगा।
- घ प्राधिकरण किसी भी समय अपने विवेक पर अधिवक्ता से किसी भी कार्यवाही/मामले/हिदायत को वापस ले सकता है।
- ङ अधिवक्ता उसे सौंपे गए मामलों की प्रगति के बारे में भादूविप्रा को सूचित रखेगा।
- च यदि एक से अधिक अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है, तो भादूविप्रा निर्णय लेगा और कार्य आवंटित करेगा और उन्हें मामले सौंपेगा।
- छ अधिवक्ता अपने लेटर हेड्स, साइन बोर्ड, नेम प्लेट आदि में प्राधिकरण के नाम या प्रतीक का उपयोग नहीं करेगा।
- ज किसी भी कदाचार के मामले में प्राधिकरण अधिवक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा जिसमें बार काउंसिल में शिकायत दर्ज करना और अधिवक्ता के कदाचार के कारण प्राधिकरण को हुए वित्तीय नुकसान की वसूली शामिल है।
- झ अधिवक्ता के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के मामले में, प्राधिकरण ऐसी कार्यवाही के समापन की प्रतीक्षा किए बिना ऐसे अधिवक्ता को पैनल से हटा सकता है।
- ञ अधिवक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि भादूविप्रा के साथ उनके संबंध के दौरान, भादूविप्रा के साथ उनके अन्य ग्राहकों के हितों का टकराव न हो। अधिवक्ता किसी भी पक्ष को सलाह नहीं देगा या प्राधिकरण के विरुद्ध किसी भी ऐसे मामले को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें वह उपस्थित हुआ है या उसे पेश होने या सलाह देने के लिए बुलाया जा सकता है या जिससे प्राधिकरण के विरुद्ध मुकदमा प्रभावित होता है या प्रभावित होने की संभावना है।
- ट अधिवक्ताओं के पैनल का आकार प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर काम की मात्रा के आधार पर तय किया जाएगा। हितों के टकराव के आधार पर किसी भी अधिवक्ता द्वारा किसी भी

प्रदीप गुप्ता

काम को स्वीकार करने से इनकार करने पर ऐसे अधिवक्ता को पैनल से हटाया जा सकता है। अधिवक्ता अपनी नियुक्ति के दौरान प्राधिकरण के विरुद्ध किसी भी मामले की पैरवी नहीं करेंगे। नियुक्त अधिवक्ता मामले को किसी अन्य अधिवक्ता को नहीं सौंपेंगे। नियुक्त अधिवक्ता को प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं माना जाएगा और इसलिए, वह भादूविप्रा के कर्मचारियों को उपलब्ध किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

7. गोपनीयता: नियुक्त अधिवक्ता उसे सौंपे गए प्राधिकरण के मामलों के बारे में पूर्ण गोपनीयता और विश्वसनीयता बनाए रखेगा और विभिन्न मंचों पर या अन्यथा प्राधिकरण का बचाव करने के दौरान उसके द्वारा प्राप्त की गई किसी भी अन्य संवेदनशील जानकारी को गोपनीय बनाए रखेगा।

8. प्राधिकरण किसी भी मामले के लिए किसी अन्य अधिवक्ता या सरकारी विधि अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. किसी भी अधिवक्ता की नियुक्ति प्राधिकरण के विवेकाधिकार पर होगी और किसी भी व्यक्ति के पास नियुक्त होने का कोई दावा नहीं होगा।

10. व्याख्या: उपरोक्त नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी संदेह के मामले में और उपरोक्त नियमों और शर्तों के अंतर्गत नहीं आने वाली किसी भी अन्य बात के संबंध में, प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और अधिवक्ता पर बाध्यकारी होगा।

11. आवेदनों को खोलना और उनका मूल्यांकन:-

क आवेदन उक्त उद्देश्यों के लिए विधिवत गठित एक या अधिक समितियों द्वारा खोले और मूल्यांकित किए जाएंगे।

ख आवेदनों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की जाएगी कि क्या वे क्रम में हैं और अपेक्षित प्रारूपों के अनुपालन में हैं। अनुबंध-I और II में दिए गए प्रारूपों की पात्रता और अनुपालन मूल्यांकन का पहला स्तर होगा। केवल उन्हीं आवेदनों को मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

ग इसके बाद समिति उन आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करेगी जो अपेक्षित योग्यता और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।



घ समिति व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बुला सकती है, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर और उसके द्वारा तय माध्यम (ऑनलाइन या ऑफलाइन) में आयोजित किया जा सकता है। तिथि, समय या माध्यम में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रवीण कुमार

पैनल अधिवक्ता के लिए बायो डेटा का प्रारूप

(ग्रेड _____ के लिए आवेदन)

1. अधिवक्ता का नाम:
2. जन्म तिथि:
3. शैक्षिक योग्यता:
4. नामांकन की तिथि और बार काउंसिल का नाम:
5. पेशेवर अभ्यास की अवधि:
6. पेशेवर अनुभव / अभ्यास का विवरण:
7. पेशेवर अभ्यास का कार्य क्षेत्र:
8. विशेषज्ञता, यदि कोई हो (संविधान/दूरसंचार/कराधान/सेवाएं आदि)
कुछ महत्वपूर्ण मामलों का विवरण जिनकी पैरवी अधिवक्ता ने की और निर्णय की जानकारी दें, यदि कोई हो।
9. ग्राहकों की संक्षिप्त सूची जैसे सरकार/संगठन/आयोग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
10. वे न्यायालय जहां अधिवक्ता नियमित रूप से पेशेवर अभ्यास कर रहा है (बार एसोसिएशन सदस्यता प्रमाणपत्र संलग्न करें)
11. दूरसंचार और प्रसारण मामले में अनुभव (दूरसंचार और प्रसारण, नियामक, भादूविप्रा के मामले और उनके परिणामों की सूची प्रदान करें)
12. आवेदक की उपयुक्तता पर एक संक्षिप्त नोट लिखें और भादूविप्रा के साथ संलग्न होने के लिए उसकी इच्छा का संक्षिप्त विवरण दें।

प्रवीण कुमार

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मुझे किसी भी बार काउंसिल द्वारा किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में कभी भी दंडित नहीं किया गया है। मैं प्राधिकरण के मामलों में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने का भी वचन देता/देती हूं।

अधिवक्ता के हस्ताक्षर

पता -

कार्यालय:

निवास स्थान:

चैंबर:

टेलेफोन -----

मोबाइल न. -----

फैक्स न. -----

ईमेल: -----

पैन नंबर: -----

जीएसटी नंबर: -----

प्रति 3/12

अनुबंध- III

शुल्क और अन्य नियम एवं शर्तें:

प्रति उदाहरण शुल्क की मर्दे/आइटम और अन्य नियम और शर्तें निम्न प्रकार से हैं:

क्रमांक	सामग्री/मद		शुल्क (रुपए में)		
			ग्रेड-I	ग्रेड-II	ग्रेड-III
1.	एसएलपी/सिविल याचिका/ प्रत्युत्तर शपथपत्र को ड्राफ्ट करने के लिए शुल्क		7,000	6,500	6,000
2	तिथियों/ आवेदन/ प्रतिवादों के ड्राफ्ट के लिए शुल्क		5,000	4,500	4,000
3	(क) याचिकाओं/अपीलों/जवाबों आदि		5,000	4,500	4,000
	(ख) विनियम/ दिशानिर्देश/ पत्र आदि के पुनरीक्षण/निपटान आदि के लिए शुल्क		7,000	6,500	6,000
4	स्वतंत्र रूप से या एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ दिल्ली में स्थित न्यायालयों /न्यायाधिकरण में उपस्थित होने के लिए प्रति प्रभावी सुनवाई शुल्क	सर्वोच्च न्यायालय	20,000	16,000	15,000
		उच्च न्यायालय, टीडीएसएटी और अन्य न्यायाधिकरण आदि	16,000	12,000	10,000
		जिला न्यायालय आदि	15,000	8,000	6,000
5	बाहरी न्यायालय/न्यायाधिकरण में स्वतंत्र रूप से या एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ उपस्थित होने और दिल्ली से बाहर रहने के लिए प्रति प्रभावी सुनवाई के लिए शुल्क	उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण, जिला न्यायालय आदि।	32,000	20,000	15,000
6	ग्राहकों/ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ वार्तालाप का आयोजन करने के लिए शुल्क	सर्वोच्च न्यायालय	6,500	5,500	5,000
		उच्च न्यायालय, टीडीएसएटी और अन्य न्यायाधिकरण, आदि	5,000	5,000	5,000
		जिला न्यायालय आदि	5,000	3,300	3,000
7	लिखित राय देने के शुल्क		5,500	5,500	5,000

नोट: भाद्विप्रा किसी भी न्यायालय में प्रस्तावित दरों पर किसी वकील को मामला आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है

प्रवीण कुमार

- (i) पैनल अधिवक्ता प्रभावी सुनवाई के मामले में ही पूरी फीस का दावा करने का हकदार होगा और गैर-प्रभावी सुनवाई के लिए अधिवक्ता पूरी फीस का 1/4 हिस्सा लेने का हकदार होगा। किसी मामले में उपस्थिति शुल्क का दावा करने के उद्देश्य से प्रभावी सुनवाई का अर्थ है ऐसी सुनवाई जिसमें किसी मामले में शामिल एक या दोनों पक्षों को न्यायालय द्वारा सुना जाता है। यदि मामले को अपनी बारी में बुलाया जाता है और अधिवक्ता प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित होता है और न्यायालय/न्यायाधिकरण उसके द्वारा या अन्य पक्ष द्वारा या दोनों द्वारा किए गए निवेदनों को सुनता है और यदि, उसके बाद, न्यायालय/ न्यायाधिकरण मामले को स्थगित कर देता है, तो यह प्रभावी सुनवाई होगी। यदि मामले का उल्लेख किया गया है और स्थगित कर दिया गया है या केवल निर्देश दिए गए हैं या केवल न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिया गया है, तो यह एक प्रभावी सुनवाई नहीं होगी, और इसे गैर-प्रभावी सुनवाई कहा जाएगा।
- (ii) जहां दो या दो से अधिक मामलों में कानून के समान प्रश्न या एक जैसे तथ्य एक साथ सुने जाते हैं, वहाँ अधिवक्ता को एक मामले में पूर्ण शुल्क और शेष प्रत्येक मामले के लिए 1/4 शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- (iii) जब मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है, लेकिन प्राधिकरण के निर्देश पर स्थगन की मांग की जाती है, तो अधिवक्ता केवल एक मामले में लागू शुल्क के 1/4 भाग के लिए हकदार होगा, भले ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों की संख्या कितनी भी हो। नोटिस या निर्देश के लिए सूचीबद्ध मामलों के लिए देय शुल्क भी इसी तरह से विनियमित किया जाएगा।
- (iv) यदि पैनल अधिवक्ता या उसका कनिष्ठ न्यायालय/ न्यायाधिकरण में उपस्थित है, लेकिन समय की कमी या न्यायालय से संबन्धित किसी अन्य कारण से मामले की सुनवाई नहीं की जाती है, तो अधिवक्ता को केवल एक मामले में लागू शुल्क का 1/4 वां हिस्सा भुगतान किया जाएगा भले ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए मामलों की संख्या जो भी हो।
- (v) रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध मामलों के लिए शुल्क का 1/4 वां भुगतान किया जाएगा, यदि अधिवक्ता को उपस्थित होना आवश्यक है।
- (vi) बाहरी स्थान पर उपस्थिति के लिए आने-जाने की यात्रा (हवाई यात्रा) और होटल में ठहरने के लिए खर्च (केवल आवास शुल्क), जो ट्राई में संयुक्त सलाहकार स्तर के

प्रदीप कुमार

अधिकारियों के लिए लागू होता है, उपस्थिति के लिए शुल्क से अतिरिक्त अधिवक्ता को देय होगा। कोई अन्य भत्ता/व्यय स्वीकार्य नहीं होगा।

- (vii) उन मामलों में कोई शुल्क देय नहीं है जहां स्थगन की सूचना अग्रिम प्राप्त हो जाती है।
- (viii) यदि अधिवक्ता भादूविप्रा के किसी मामले या मामलों के संबंध में एक न्यायालय/न्यायाधिकरण में व्यस्त है और ऐसे न्यायालय/ न्यायाधिकरण में अपना काम समाप्त करने के बाद, वह किसी अन्य न्यायालय /न्यायाधिकरण में एक मामले की प्रभावी सुनवाई के दौरान शामिल होता है, तो अधिवक्ता पहले न्यायालय /न्यायाधिकरण में उसकी उपस्थिति के लिए लागू शुल्क के अलावा दूसरे न्यायालय /न्यायाधिकरण में उपस्थित होने के लिए पूर्ण उपस्थिति शुल्क का हकदार होगा। यदि केवल कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित होता है और ऐसी प्रभावी सुनवाई में नोट करता है, तो उपस्थिति शुल्क का केवल 1/4 भाग देय होगा।
- (ix) जब भी अधिवक्ता किसी अन्य ग्राहक के मामले के संबंध में किसी अन्य न्यायालय/ न्यायाधिकरण में अपनी पूर्व व्यस्तता के कारण भादूविप्रा की ओर से मामले में बहस करने के लिए न्यायालय/ न्यायाधिकरण में उपस्थित होने में असमर्थ होता है, तो अधिवक्ता भादूविप्रा को अग्रिम सूचना देगा ताकि भादूविप्रा किसी अन्य अधिवक्ता से उसके स्थान पर उपस्थित होने और बहस करने का अनुरोध कर सके और ऐसे मामले में, उपस्थित होने वाले अन्य अधिवक्ता को उपस्थिति शुल्क का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, पैनल के अधिवक्ता को अन्य अधिवक्ता को हिदायत देने और सुनवाई में उनकी सहायता करने के लिए अपने कनिष्ठ को प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए कनिष्ठ की हिदायत या उपस्थिति के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा।
- (x) ऐसे मामलों में जहां आक्षमिकता के कारण, पैनल अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता की निर्धारित हिदायत में शामिल नहीं हो पाता है और उनके कनिष्ठ अधिवक्ता या भादूविप्रा के अधिकारियों के साथ ऐसी हिदायत में भाग लेते हैं, अधिवक्ता को लागू शुल्क का 1/4 वां भुगतान किया जाएगा।
- (xi) लिपिक का भुगतान शुल्क बिल के 10% (विविध व्ययों को छोड़कर) की दर पर किया जाएगा।
- (xii) टाइपिंग, फोटोकॉपी आदि जैसे विविध खर्चों का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाएगा।
- (xiii) उपरोक्त शुल्क प्रत्येक वर्ष ऊपर उल्लिखित दरों पर 5% तक बढ़ाया जाएगा।

प्रवीण कुमार